इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्र. एफ. 2-83-छब्बीस-2-2010.—मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 है.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970);

(ख) "कलक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का कलक्टर;

(ग) "आयुक्त/संचालक" से अभिप्रेत है, आयुक्त/ संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(घ) "निराश्रित" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 2 में यथा परिभाषित निराश्रित व्यक्ति;

(ङ) "निराश्रित निधि" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन संगृहीत रकम;

(च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(छ) "आश्रम" से अभिप्रेत है, नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन स्थापित आश्रम;

(ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(झ) "प्रायोजक" से अभिप्रेत है, केन्द्र अथवा राज्य की किसी विधि के अधीन गठित या रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास/ प्राधिकरण/ निकाय;

(ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार.

3. **निराश्रितों के लिए अपेक्षाएं.**—(1) निराश्रित व्यक्ति को मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक होगा.

(2) (एक) धारा 2 के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए "वृद्ध एवं शिथिलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा वृद्ध तथा शिथिलांग व्यक्ति जिसने साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(दो) "नि:शक्त व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1995 का 1) की धारा 2 के खण्ड (न) में परिभाषित है.

(3) ऐसे व्यक्ति जो स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय धात, मानसिक मंदता, बहु नि:शक्तता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के अन्तर्गत आते हों;

(4) कोई विधवा अथवा विच्छिन्न विवाह व्यक्ति (पुरुष/ स्त्री) अथवा ऐसी महिला जिसने क्रूरता भोगी हो और जो निवास संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्र में निवास संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, नियम 3 के प्रयोजन के लिए निराश्रित समझे जाएंगे.

(5) 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे अनाथ नि:शक्त बच्चे जिनके माता-पिता न हों तथा जो गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हों.

4. **निराश्रितों के लिए आश्रमों तथा रोजगारोन्मुखी केन्द्रों की स्थापना.**—(1) प्रायोजक, धारा 3 के प्रयोजन के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर—

(क) निराश्रित तथा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एक या अधिक आश्रमों की स्थापना कर सकेगा;

(ख) ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिए जो रात्रि में फुटपाथ पर रहते हों एक या अधिक रैन बसेरे स्थापित कर सकेगा;

(ग) निराश्रित/ नि:शक्त व्यक्तियों के लिए एक या अधिक डे केयर सेन्टर केन्द्र स्थापित कर सकेगा;

(घ) निराश्रित/ नि:शक्त बच्चों के लिए एक या एक से अधिक ऐसे आवासीय/ गैर आवासीय विशेष स्कूल स्थापित कर सकेगा जिनमें शिक्षण/ प्रशिक्षण का प्रबंध हो;

(ङ) निराश्रितों/ नि:शक्त व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों तथा संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा तथा इन केन्द्रों का प्रबंध कर सकेगा.

(2) विभिन्न प्रकार की नि:शक्तताओं तथा निराश्रित वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के आश्रम स्थापित किए जा सकेंगे तथा आश्रमों को स्थापित करने के लिए प्रायोजक प्ररूप 'क' में कलक्टर को आवेदन कर सकेगा.

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, कलक्टर, जिले के संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, सामाजिक न्याय से निरीक्षण रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात् अपनी अनुशंसाओं सहित उसे आयुक्त/ संचालक, सामाजिक न्याय को अग्रेषित करेगा जो उस पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकेगा तथा आयुक्त/ संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.

(4) आश्रम, विद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र किराये के भवनों में या इस प्रयोजन के लिए निर्मित भवनों में स्थापित किए जा सकेंगे. किराए के भवनों के मामले में, कलक्टर द्वारा किराया नियत किया जाएगा. कुल निर्धारण का 90 प्रतिशत तक ही किराया देय होगा.

5. **प्रायोजक को सहायता अनुदान.**—(1) इन नियमों के अधीन प्रायोजक को स्वीकृत समस्त अनुदान या धन अधिनियम के अधीन संगृहीत निधि से संदत्त किया जाएगा.

(2) सरकार आश्रमों को, दिये जाने वाले अनुदान से संबंधित दरों को समय-समय पर नियत कर सकेगी.

(3) ऐसे आश्रमों के लिए भवनों के संनिर्माण के लिए, प्रयोजक, सहायता अनुदान प्राप्त कर सकेगा किन्तु भवन पर स्वामित्व सरकार का होगा. शासकीय भूमि पर, कलक्टर भवन की कुल कीमत का 90 प्रतिशत तक स्वीकृत कर सकेगा, सोसाइटी का अभिदाय 10 प्रतिशत होगा. अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा अथवा सरकार के पक्ष में न्यूनतम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी.

6. **भवन का संनिर्माण.**—(1) आश्रम का संनिर्माण सामान्यत: ऐसी भूमि पर किया जाएगा जो कि प्रयोजक या सरकार की सम्पत्ति हो.

(2) उपनियम (1) के अधीन संनिर्मित किए जाने वाले भवन का ब्लूप्रिंट, नक्शा तथा विशिष्टताएं कलक्टर द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे तथा भवन का नक्शा इस प्रकार का बनाया जाएगा जिससे कि उसमें पहुंचा जाना बाधा रहित हो.

(3) कलक्टर द्वारा पूर्व से अनुमोदित नक्शे तथा विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(4) 5.00 लाख रुपये तक के भवन निर्माण के लिए कलक्टर द्वारा तथा 1.00 करोड़ रुपये तक के नए निर्माण के लिए आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन दिया जाएगा तथा 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा.

(5) कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा भवन का संनिर्माण किया जाएगा, जिसका गठन सामाजिक न्याय विभाग के जिला अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक स्तर के अधिकारी एवं कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य अधिकारियों से मिलकर होगा.

(6) भवन के निर्माण की लागत का प्रमाणीकरण किसी मान्यता प्राप्त मूल्यांकक द्वारा, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा / राजधानी परियोजना प्रशासन / मध्यप्रदेश गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मण्डल के कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाएगा.

(7) भवन के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान में, 40: 40 : 20 के अनुपात में तीन किश्तों में जारी किया जाएगा. प्रत्येक किश्त के जारी किए जाने के पूर्व, प्रयोजक, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि पिछली दी गई किश्त की रकम का, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व, पूर्णत: उपयोग किया जा चुका है.

7. **निराश्रित निधि से बने भवनों का अधिग्रहण करने का अधिकार.**—कलक्टर को नियम 4 के अधीन स्थापित किसी आश्रम या अन्य भवन का यदि उसका प्रबंध उचित रूप से नहीं किया जा रहा हो या उसका दुरुपयोग किया जा रहा हो, अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अधिग्रहण करने का अधिकार होगा. ऐसी परिस्थितियों में वह भवन तथा वह भूमि जिस पर उसका संनिर्माण किया गया है उसके अहाते की दीवारों सहित राज्य सरकार के आधिपत्य में आ जाएंगे तथा कलक्टर द्वारा गठित समिति उसके संचालन के बारे में निर्णय लेगी और उसके प्रबंध हेतु आवश्यक इंतजाम करेगी.

8. **वित्तीय मंजूरी.**—(1) भवन के अनुरक्षण, उसमें परिवर्धन तथा परिवर्तन का व्यय प्रायोजक द्वारा वहन किया जाएगा. विशेष मामलों में, जहां कि प्रायोजक की आर्थिक स्थिति कमजोर है, कलक्टर भवन के अनुरक्षण उसमें परिवर्धन तथा परिवर्तन करने के लिए भवन की कुल लागत का एक प्रतिशत तक प्रतिवर्ष की दर से प्रथम पांच वर्ष के लिए तथा उसके पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिवर्ष तक रकम मंजूर कर सकेगा.

(2) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम / विशेष स्कूल / छात्रावास और केन्द्रों की स्थापना करते समय कलक्टर फर्नीचर, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, टेबल, कुर्सी खाना बनाने के बर्तन, टेलीविजन आदि के लिए भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित दरों पर अनावर्ती मद में, एक बार तथा स्थापना किए जाने के 5 वर्ष पश्चात् पलंग, बिस्तर, तकिये कम्बल / रजाई, टेलीविजन आदि जिन्हें बदलना अनिवार्य हो और वस्त्र, दैनिक उपयोग के बर्तनों के लिए भी स्वीकृति दी जा सकेगी और वे प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार क्रय किए या बदले जा सकेंगे.

(3) चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर कलक्टर, आश्रम के अंत:वासियों को उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार उपकरण जैसे ट्रायसिकल, व्हील चेयर, श्रवण पत्र चश्में, कृत्रिम अंग, बैसाखी आदि मंजूर कर सकेगा और दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अन्तर्गत उनका उपचार कराना सुनिश्चित करेगा यदि उपचार हेतु रकम की आवश्यकता होती है तो कलक्टर द्वारा विशेष परिस्थिति पर रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) तक का अनुमोदन दिया जा सकेगा.

(4) कलक्टर, नियम 3 में यथा उल्लिखित निराश्रित व्यक्तियों के सर्वेक्षण के पश्चात् उन्हें पूर्वोक्त उपनियम (3) में यथा उल्लिखित उपकरण उपलब्ध करा सकेगा. इस प्रयोजन के लिए कलक्टर वार्षिक कार्य योजना तथा आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करेगा और जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं का बजट तैयार करेगा और आयुक्त/ संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

9. **आश्रमों, स्कूलों, केन्द्रों एवं रैनबसेरों में प्रवेश की पात्रता.**—(1) अधिनियम की धारा 2 में यथा परिभाषित कोई ऐसा निराश्रित जो नियम 3 में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, आश्रम में प्रवेश दिए जाने के लिए पात्र होगा तथा उससे आश्रम में प्रवेश के लिए "प्ररूप-दो" में आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी. यदि निराश्रित व्यक्ति आवेदन करने की स्थिति में न हो तो प्रायोजक का दायित्व होगा कि वह निराश्रित व्यक्ति की ओर से तथा उसकी सहमति से आवेदन प्रस्तुत करे.

(2) रैन बसेरा में रात्रि में ठहरने वाले व्यक्तियों को प्रायोजक द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा :—

(एक) कोई हितग्राही, रैन बसेरा में अधिकतम तीन रात्रि तक रह सकेगा;

(दो) रैन बसेरा में रुकने के लिए न्यूनतम शुल्क होगा जिसका भवन के रख-रखाव आदि के लिए उपयोग किया जाएगा;

(तीन) शुल्क कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

(3) संक्रामक रोग या पागलपन से ग्रस्त या मदिरा सेवन के आदि या व्यवसनों में लिप्त या चरित्रहीन व्यक्तियों को आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

(4) आश्रम में प्रवेश दिए जाने वाले निराश्रितों का चयन संबंधित संस्था या सोसाइटी द्वारा किया जाएगा परन्तु उनकी पुष्टि संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा की जाएगी.

(5) कलक्टर, ऐसे किसी अनुशासनहीन निराश्रित व्यक्ति को जो आश्रम के नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करता है, निकाल सकेगा.

(6) आश्रम में निराश्रितों का प्रवेश एवं निर्मुक्ति रजिस्टर, "प्रारूप-तीन" में संधारित किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय प्रवेश हेतु प्रात्रता के मापदण्ड तैयार करने और उनमें संशोधन करने तथा शुल्क के निर्धारण हेतु प्राधिकृत होंगे.

10. **आश्रमों, स्कूलों तथा रैनबसेरों में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं.**—(1) प्रायोजक का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह कलक्टर द्वारा नियत किये गये मापदण्डों के अनुसार आश्रम में प्रवेश दिये गये निराश्रितों के लिए आवास, भोजन वस्त्र, बिस्तर, चिकित्सा तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराए.

(2) इन आश्रमों के निराश्रितों के भरण-पोषण के लिए कलक्टर, निराश्रित निधि के अन्तर्गत ब्याज की उपलब्धता राशि को ध्यान में रखते हुए राशि स्वीकृत करेगा, किन्तु यह आवश्यक होगा कि कलक्टर द्वारा 90 प्रतिशत राशि स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् शेष 10 प्रतिशत राशि संस्था/ आश्रम चलाने वाले प्रायोजक द्वारा वहन की जाए.

(3) भवन किराया तथा कर्मचारियों के वेतन आदि मदों पर होने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम दस प्रतिशत प्रायोजक द्वारा वहन किया जाएगा.

(4) प्रयोजक द्वारा आश्रम तथा उसके आसपास पानी, प्रकाश तथा स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी तथा प्रयोजक को, बिजली एवं पानी हेतु नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जाएगा तथा ऐसे व्यय का 10 प्रतिशत प्रायोजक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा.

(5) आश्रम में अन्त:वासियों के लिए एक पुस्तकालय तथा वाचनालय होगा.

(6) अंत:वासियों के लिए आश्रम, स्कूलों में उनकी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा.

(7) प्रत्येक अंतवासी को, आश्रम में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, विशेष मामलों में, जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर कलक्टर, किसी अंत:वासी के इलाज पर हुए कुल व्यय का, अधिकतम रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) प्रतिवर्ष के अध्यधीन रहते हुए 75 प्रतिशत तक स्वीकृत कर सकेगा.

(8) प्रत्येक अंत:वासी आश्रम के दैनिक कार्य-कलापों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा उसे सौंपे गए कार्य को लगन एवं निष्ठापूर्वक करेगा.

(9) आश्रम में अंत:वासियों की, नियम 11 के खण्ड (क) में विहित गतिविधियों से कमाई अंत:वासियों के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाएगी.

11. **जिला स्तर पर निराश्रित निधि का उपयोग.**—निराश्रित निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जा सकेगा,—

(क) अंत:वासियों के लिए पुनर्वास केन्द्र एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु.

(ख) नियम 3 में परिभाषित ऐसे हितग्राहियों का, जो नि:शक्त हों, अन्यथा विभाग द्वारा संचालित आश्रम के अंत:वासी हों और जो स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य उनका उपचार कराने में असमर्थ हों, उपचार दीनदयाल उपचार योजना अथवा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि से कराया जाएगा. यदि आपात स्थिति को देखते हुए उपरोक्त वर्णित हितग्राहियों को और अधिक राशि की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य बीमारी तथा स्थायी नि:शक्तता निधि के अन्तर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलक्टर द्वारा 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

(ग) निराश्रितों/ नि:शक्तजनों के उपचार हेतु ऐसी शल्य चिकित्सा द्वारा जिससे कि उनकी नि:शक्तता दूर/ कम की जा सके, शिविर आयोजित करना, निराश्रित निधि से निराश्रितों के लिए कृत्रिम अंगों तथा उपस्करों आदि की व्यवस्था करना तथा जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन.

(घ) कार्यशाला, सेमीनार, प्रदर्शनी, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करना तथा इनके लिए आवश्यकतानुसार चलित इकाइयों की स्थापना करना और सरकार द्वारा निराश्रितों / नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु समय-समय पर जारी किए गए निदेशों / मानदण्डों के अनुसार रकम या धन की प्रतिपूर्ति करना.

(ङ) निराश्रित एवं निर्धन/ नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता हेतु विभिन्न स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रबंधकीय व्यय की पूर्ति करना.

(च) निराश्रितों के कल्याण के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास योजना और ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित आनुषंगिक व्यय के विकास हेतु व्यय की पूर्ति, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग के जिला / संभाग स्तरीय कार्यालयों में नि:शक्तजनों / निराश्रितों के लिए मूलभूत एवं बाधारहित सुविधाओं के व्यय की पूर्ति की जा सकेगी.

(छ) निःशक्तजनों को निःशुल्क प्रदाय की गई ट्रायसाइकिलों के खराब होने की दशा में, कलक्टर द्वारा जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से नवीन ट्रायसाइकिल प्रदान की जाएगी तथा उपस्करों की पूर्ति की नीति आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन से जारी की जाएगी.

(ज) निराश्रितों और निर्धन / निःशक्तजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु सुविधाएं प्रदान करना.

(झ) खण्ड / जिला / राज्य तथा राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना तथा खिलाड़ियों पर होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति करना तथा प्रतियोगिता में सहायता देना.

(ण) सरकारी संस्थाओं की अवसंरचना के सुधार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अन्तर्गत संस्थाओं के अनुरक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति करना.

(ट) मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संघ निधि उपलब्ध कराने के लिए वर्ष में रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) का अधिकतम सहायता अनुदान कलक्टर द्वारा दिया जा सकेगा.

(ठ) नियम 3 में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट, एक्स-रे, सी.टी. स्केनिंग, एम.आर.आई., एंजियोग्राफी, टी.एम.टी., इको-कार्डियोग्राफी के लिए रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) स्वीकृत कर सकेगा.

12. **विभिन्न स्तर पर निधि के उपयोग की स्वीकृति.**—(1) जिला संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय नियम 11 के खण्ड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निराश्रित निधि में से एक बार में या एक माह के भीतर रुपये 10,000/- तथा अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक पूरे वित्तीय वर्ष में एक बार ब्याज की रकम का उपयोग कर सकेगा.

(2) कलक्टर, एकल संस्था / अभिकरण की व्यवस्था या कार्य के लिए निराश्रित निधि की जमा पर अर्जित ब्याज की रकम नियम 11 के प्रयोजनों के लिए एक बार में दो लाख रुपये की सीमा तक व्यय कर सकेगा. उक्त रकम से अधिक का खर्च/ आहरण के लिए प्रस्ताव, आयुक्त / संचालक की लिखित सहमति प्राप्त होने पश्चात् ही मंजूर किया जा सकेगा.

(3) निराश्रित निधि की मूल / ब्याज रकम के उपयोग के लिए कलक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् सामाजिक न्याय के आयुक्त/ संचालक द्वारा दस लाख रुपये की सीमा तक मूलधन/ ब्याज की राशि से व्यय करने की मंजूरी दी जा सकेगी तथा उक्त रकम से अधिक की मंजूरी मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी जाएगी.

(4) निधि का किसी भी रीति में उपयोग का अधिकार सरकार के सामाजिक न्याय विभाग को होगा.

(5) जिला स्तर पर संग्रहित निराश्रित निधि की संपरीक्षा प्रति वर्ष आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा अनुमोदित चार्टड एकाउन्टेन्ट या कलक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी शासकीय संपरीक्षक द्वारा की जाएगी तथा संपरीक्षा की तारीख से तीस दिन के भीतर, आयुक्त/ संचालक, सामाजिक न्याय को रिपोर्ट भेजी जाएगी.

13. **अंतःवासी का अंत्येष्टि क्रिया.**—(1) आश्रम के किसी अंतःवासी की मृत्यु होने की दशा में उसका शव उसके परिवार के सदस्यों को या उसके निकटतम संबंधी को सौंप दिया जाएगा:

परन्तु यदि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी 24 घंटे तक शव प्राप्त करने के लिए कोई संबंधी / व्यक्ति नहीं आता है या निराश्रित का परिवार का कोई सदस्य अथवा संबंधी नहीं है तो आश्रम में उपलब्ध निधि से उसकी अंत्येष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी किन्तु ऐसे व्यय रुपये 2000/- (दो हजार रुपये केवल) से अधिक का नहीं होगा.

(2) कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति के शव की जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हो, एवं जो निराश्रित की परिभाषा में आता हो, अंत्येष्टि संस्कार हेतु निराश्रित निधि में से 2000/- (दो हजार रुपये केवल) के व्यय की मंजूरी दी जा सकेगी.

(3) नि:शक्तजन, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से रुपये 2000/- (दो हजार रुपये केवल) तक की आर्थिक सहायता संचालनालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा मंजूर की जा सकेगी. इस प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संग्रहित राशि का एक प्रतिशत व्यय किया जा सकेगा.

14. **कर्मचारीवृंद की नियुक्ति.**—(1) वृद्धाश्रम / नि:शक्तजन की विशेष शाला / छात्रावासों के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम / विशेष शालाओं में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या की सीमा के भीतर सरकार द्वारा अवधारित दर अनुसार कलक्टर, निम्नलिखित पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु अग्रसर हो सकेगा :—

(क) वृद्धाश्रम (25 वृद्धजनों की परियोजना अनुसार)

1. प्रबंधक / वार्डन / अधीक्षक;
2. अंशकालिक चिकित्सक;
3. केयर टेकर;
4. भृत्य सह चौकीदार;
5. आया / परिचारक / नर्स;
6. रसोइया;
7. सहायक रसोइया;
8. स्वीपर;
9. धोबी;

(ख) विशेष शालायें (25 छात्रों की परियोजना अनुसार)

1. प्राचार्य—एक पद;
2. विशेष शिक्षक—तीन पद;
3. प्रशिक्षक—एक पद;
4. लेखापाल / सहायक वर्ग-दो;
5. अंशकालीन चिकित्सक;
6. ड्राईंग शिक्षक;
7. संगीत शिक्षक;
8. फिजियोथेरेपिस्ट / आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट / स्पीच थेरेपिस्ट कोई एक पद;
9. सहायक शिक्षक—एक पद;

(ग) छात्रावास (25 छात्रावास की परियोजना अनुसार)

1. अधीक्षक;
2. वार्डन / केयर टेकर;
3. अंशकालिक चिकित्सक;
4. भृत्य सह चौकीदार;
5. रसोइया;

6. सहायक रसोइया;

7. स्वीपर;

8. आया / नर्स / परिचारक;

9. लेखापाल / सहायक वर्ग–दो;

10. योगा प्रशिक्षक;

11. धोबी;

(2) छात्रावास की क्षमता पचास सीट होने की दशा में अधीक्षक, चिकित्सक / लेखापाल / योगा शिक्षक / रसोइया प्रत्येक का एक–एक पद होगा, किन्तु इन परिस्थितियों में, शिक्षक/ केयर टेकर/ आया, नर्स, परिचालक / भृत्य तथा रसोइया का सहायक, प्रत्येक का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जा सकेगा. उस दशा में जहां इन संस्थाओं में प्रवेश संख्या चालीस से कम हो, ऐसा कोई पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा.

(3) यदि अशासकीय संस्थाओं में अस्तिवाधित निःशक्तता से संबंधित छात्रावासों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी निवास करते हैं, तो उन्हें शासकीय छात्रावासों में प्रवेश दिलाना आवश्यक नहीं होगा.

स्पष्टीकरण : (1) संस्थाओं में पदों की पूर्ति, सरकार द्वारा यथा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर, निःशक्त व्यक्तियों से, संविदा के आधार पर, की जाएगी.

(2) यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये कोई शासकीय संस्था है, तो समिति का गठन किया जावेगा. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्राधिकृत समिति, संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तथा जिला रोजगार अधिकारी और एक प्रतिनिधि से, जो इस संबंध में कलक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में एक विषय विशेषज्ञ से मिलकर बनेगी. समिति में, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य नहीं होने की दशा में एक सदस्य समिति में भाग लेगा.

(3) अनुदान प्राप्त संस्था की दशा में, कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो डिप्टी कलक्टर की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, चयन मण्डल का अध्यक्ष होगा जो संस्था के अध्यक्ष / सचिव और किसी अशासकीय संस्था के एक विषय विशेषज्ञ से मिलकर गठित होगा.

(4) उपनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में मानदेय, सरकार/आयुक्त/कलक्टर द्वारा समान प्रवर्ग के पदों के लिये समय–समय पर विहित किए गये अनुसार देय होगा.

15. **राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन.**—इन नियमों के प्रयोजनों हेतु उक्त राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा. समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी .—

(1) मंत्री, सामाजिक न्याय	—	अध्यक्ष (सभापति)
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय	—	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	—	सदस्य
(4) आयुक्त/संचालक, मण्डी (कृषि)	—	सदस्य
(5) आयुक्त/संचालक, नगरीय कल्याण	—	सदस्य
(6) आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य	—	सदस्य
(7) आयुक्त/संचालक, पंचायत राज	—	सदस्य
(8) आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय	—	सदस्य सचिव

16. **सलाहकार समिति का सम्मिलन.**—(1) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का सम्मिलन वर्ष में कम से कम एक बार होगा.

(2) सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी.

(3) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की जाएगी किन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उसके (चेयरपर्सन) द्वारा समुचित प्राधिकृत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा सम्मिलिन की अध्यक्षता की जा सकेगी.

17. **जिला स्तरीय निराश्रित / शिक्षा / प्रशिक्षण तथा पुनर्वास समिति का गठन.**—(1) निराश्रितों की शिक्षा / प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(1)	कलक्टर	—	अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
(2)	पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(3)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य
(4)	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
(5)	आयुक्त / मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरीय निकाय, परियोजना अधिकारी, डी. यू. डी. ए. (डूडा)	—	सदस्य
(6)	सचिव, मण्डी (कृषि), जिला मुख्यालय / संयुक्त संचालक / संचालक, मण्डी	—	सदस्य
(7)	सिविल सर्जन-सह-अधीक्षक, जिला चिकित्सालय	—	सदस्य
(8)	सचिव, जिला रेडक्रास सोसाइटी	—	सदस्य
(9)	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय	—	सदस्य सचिव

(2) जिला स्तरीय समिति का सम्मिलन वर्ष में तीन बार किया जाएगा.

(3) सम्मिलन की गणपूर्ति, कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी.

(4) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की जाएगी, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में, सम्मिलन की अध्यक्षता अपर कलक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की जा सकेगी.

18. **सलाहकार समिति की शक्तियां तथा कृत्य.**—उन विषयों पर सलाह देना जिन पर कि सलाहकार समिति, इन नियमों के अधीन क्रियान्वित कार्यक्रमों के संबंध में समुचित समझे, जिला स्तरीय समिति को सलाह देगी तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विनिश्चय करेंगी.

19. **राज्य निराश्रित निधि.**—(1) (क) राज्य स्तर पर, एक राज्य निराश्रित निधि संस्थित की जाएगी, जो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आयुक्त / संचालक द्वारा सृजित की जाएगी.

(ख) जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत रकम, राज्य निराश्रित निधि में प्रतिवर्ष जमा की जाएगी.

(ग) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, 01 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष.

(घ) कलक्टर, वर्ष में संग्रहित कुल रकम का 20 प्रतिशत (रकम) राज्य निराश्रित निधि को जमा करेगा.

(ङ) राज्य निराश्रित निधि प्राप्त रकम का राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में जमा की जाएगी. जिसका संचालन, आयुक्त / संचालक, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जाएगा.

(2) राज्य निराश्रित निधि से रकम का व्यय :—

(क) राज्य निराश्रित निधि में जमा की गई रकम और उसके व्यय खाते का संचालन, आयुक्त / संचालक, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पृथक् रूप से किया जाएगा.

(ख) राज्य निराश्रित निधि में (जमा) रकम तथा उसके व्यय का संपरीक्षण, चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा.

20. **लेखे का संधारण.**— (1) आश्रमों की स्थापना, भवन संनिर्माण तथा निराश्रितों की सहायता पर उपगत (Incure) किए जाने वाले व्यय के संबंध में लेखा संधारित किया जाएगा.

(2) (क) अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति और अन्य स्त्रोतों से संग्रहीत की गई रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में निराश्रित निधि के पक्ष में सावधि जमा खाते में रखी जाएगी तथा ऐसे जमा पर अर्जित ब्याज चालू या बचत खाते में जमा किया जाएगा जिनका संचालन, जिले में कलक्टर / संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा.

(ख) सावधिक जमा से अर्जित ब्याज का, इन नियमों के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाएगा. यदि किसी वर्ष में, अर्जित ब्याज का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, तब ऐसे धन की शेष रकम सावधि जमा में नियत कर दी जाएगी.

(3) प्राप्ति तथा व्यय सम्यक रूप से संधारित किए जाएंगे.

(4) आश्रमों की स्थापना, निराश्रितों की देखरेख तथा आश्रमों के भवनों के संनिर्माण के लिये प्रायोजक द्वारा प्राप्त रकम, बैंक खाते में जमा की जाएगी. जिसका संचालन प्रायोजक द्वारा किया जाएगा.

21. **अपील.**—कोई व्यक्ति, जो आयुक्त-सह-संचालक, सामाजिक न्याय के विनिश्चय से व्यथित है, (तो वह) सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

22. **संपरीक्षा, निरीक्षण तथा विवरणियां.**—(1) आश्रमों के लेखों की संपरीक्षा, चार्टर्ड अकाउन्टेंड द्वारा नियतकालिक रूप से की जाएगी.

(2) आश्रमों का निरीक्षण, स्थानीय निकाय, पंचायत तथा कलक्टर के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी अधिकारिता में, और जिला स्तरीय समिति एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा परन्तु महिला आश्रमों का निरीक्षण केवल सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच ही किया जाएगा.

(3) निरीक्षण अथवा संपरीक्षा से संबंधित पालन प्रतिवेदन (रिपोर्ट), आयुक्त / संचालक, सामाजिक न्याय तथा संबंधित जिले के कलक्टर को भेजी जाएगी.

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरासित नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्यवाई, जब तक कि ऐसी बात अथवा की गई कार्रवाई इन नियमों के किसी उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. एस. जादौन, उपसचिव.

प्ररुप–1

[नियम 4(2) देखिए]

आश्रम की स्थापना हेतु आवेदन का प्ररुप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला ....

महोदय,

निराश्रितों के लिये आश्रम स्थापित करने का प्रस्ताव है, तद्नुसार आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है—विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :—

1. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता ....
2. यदि आवेदक स्वयं सेवी संगठन है तो ....
   (क) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....
   (ख) जिला कलेक्टर का अनुमोदन क्रमांक .... दिनांक ....
   (ग) स्वयं सेवी संगठन के नियमों एवं पदाधिकारियों का पूर्ण विवरण ....
   (कृपया जानकारी संलग्न करें)
3. आश्रम के स्थान का पूर्ण विवरण ....
4. क्या आश्रम किराये के भवन में संचालित किया जाएगा ....
5. आश्रम में निराश्रितों को रखे जाने की क्षमता ....
6. आश्रम की स्थापना पर होने वाला कुल प्राक्कलित व्यय ....

   (आश्रम के शीर्षवार ब्यौरे संलग्न करें)
7. आश्रम के निर्माण पर होने वाला कुल प्राक्कलित व्यय ....
   (विवरण दें)
8. क्या आश्रम की स्थापना / भवन निर्माण पर होने वाला व्यय (जो संगठन को वहन करना है) संगठन द्वारा वहन किया जा सकता है, यदि हो तो पिछले दो वर्षों का आय व्यय का पूर्ण विवरण दीजिए, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए.
9. आश्रम के संचालन में संगठन द्वारा कितनी राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है.
10. कोई अन्य जानकारी.

संलग्नक :
तारीख ......

....

आवेदक के हस्ताक्षर
संगठन का नाम तथा पूर्ण पता

प्ररुप–2

(आश्रम में प्रवेश के लिये आवेदन)

प्रति,

(संगठन का नाम)

. . . .

. . . .

महोदय,

निवेदन है कि मैं, ... पुत्र श्री .... उम्र . . . . निवासी (पूर्ण पता) .... वृद्ध निराश्रित / विकलांग/ निराश्रित हूँ.

वृद्ध निराश्रित / विकलांग निराश्रित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है.

मैं वचन देता हूँ कि मैं आश्रम के समस्त नियमों का पालन करूँगा.

संलग्नक :

तारीख . . . . . .

. . . .

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम तथा पूर्ण पता

प्ररुप–3

[नियम 9(5) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	निराश्रित का नाम (2)	पिता का नाम (3)	उम्र (4)	जाति (5)	पता (6)

परिवार के निकट संबंधी का नाम एवं पता (7)	वृद्ध निराश्रित विकलांग निराश्रित (8)	प्रवेश की तारीख (9)	निर्मुक्ति की तारीख (10)	निर्मुक्ति का कारण (11)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.